मुख्य परीक्षा

1. निम्नलिखित में भेद करें- (250 शब्द, 25 अंक)
   i. अकादमिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि
   ii. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी
   iii. भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही
   iv. कानून और नैतिकता
   v. संवेग और मन:स्थिति
2. अभिवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बीच अंतर-संबंधों को स्पष्ट कीजिए। (200 शब्द, 15 अंक)
3. सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए- (150 शब्द, 15 अंक)
   (क) पारदर्शिता
   (ख) सामाजिक न्याय
   (ग) उत्तरदायित्व
4. प्रत्येक अच्छाई उचित हो, यह आवश्यक नहीं.....सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द, 15 अंक)

उत्तर-

1. अकादमिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि

अकादमिक बुद्धि-

- यह व्यक्ति की तार्किक तथा गणितीय भाषायी क्षमता से संबंधित है।
- यह तार्किक पक्षों पर ज्यादा बल देता है।

भावनात्मक बुद्धि

- इसके द्वारा संवेगों को समझने पर बल दिया जाता है।
- यह संवेगों के नियंत्रण तथा सामाजिक संबंधों में इस ज्ञान समझ तथा प्रबंधन पर बल देता है।

2. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी

सत्यनिष्ठा-

- व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के विचार और व्यवहार में एकता होना सत्यनिष्ठा कहलाता है।
- यह संगठनात्मक स्तर पर अपने अधिकारिक कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन से जुड़ा है।

ईमानदारी-

- सच्चाई को व्यक्त करने एवं हितों के खुलासा के लिए तैयार होना।
- ईमानदारी व्यक्तिगत के साथ सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है।
- सत्यनिष्ठा में ईमानदारी अन्तर्निहित है, जबकि ईमानदारी में सत्यनिष्ठा अन्तर्निहित नहीं है।

3. **भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही**

भेदभाव–

- वर्ग, जाति, जातियता, नस्ल, लिंग, धर्म, जन्म-स्थान, विकलांगता के आधार पर असमान बर्ताव करना भेदभाव कहलाता है।
- यह अपने क्रियात्मक रूप में नकारात्मक भी हो सकता है।
- अधिमानी बर्ताव के द्वारा सामाजिक न्याय को उपलब्ध किया जाता है।

सकारात्मक कार्यवाही–

- यह किसी भी समाज में व्याप्त संरचनात्मक असमानता को कम करने की अवधारणा है।
- यह सामाजिक न्याय को हासिल करने का तरीका है।
- इसके अन्तर्गत मजबूत रूप जैसे आरक्षण तथा कमजोर रूप जैसे समूह के द्वारा सामाजिक न्याय पर बल देता है।

4. **कानून और नैतिकता**

कानून–

- कानून राज्य की इच्छा व्यक्त करता है।
- इसका मूल्यांकन वैध या अवैध के रूप में होता है।
- यह व्यक्ति के मार्गदर्शन का बाहरी स्त्रोत है।

नैतिकता–

- यह व्यक्ति की अन्त:श्चेतना में स्वीकृत मूल्यों और मानकों को व्यक्त करता है।
- इसका मूल्यांकन अच्छा और बुरा, उचित या अनुचित शब्दों के द्वारा किया जाता है।
- यह मार्गदर्शन का आन्तरिक स्त्रोत है।

4. **संवेग और मन:स्थिति**

संवेग–

- यह तीव्र अनुभूति है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की वजह से उत्पन्न होता है।
- 6-10 तक मूल संवेग माने गए हैं।

मन:स्थित–

- यह प्राय: सामान्य कारकों से उत्पन्न मानसिक स्थिति है।
- यह सकारात्मक व नकारात्मक स्थिति के साथ लम्बी अवधि का होता है।

2. अभिवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बीच अन्तर संबंधों को स्पष्ट कीजिए।

अभिवृत्ति मानव स्वभाव की वह अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद-नापसंद तथा सोच के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की सोच में सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थता जैसे गुण हो सकता है।

अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बीच अन्तर संबंध–

अभिवृत्ति स्वभाविक गुण होने के साथ-साथ परिस्थिति जन्य भी हो सकता है। साथ ही इसमें भावना और क्रिया शामिल होने के कारण यह सामाजिक मूल्यांकन की अभिवृत्ति आधार उपलब्ध कराता है।

अभिक्षमता जो ज्ञान, कौशल अथवा प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में योग्यताओं को अर्जित करने की क्षमता विकसित करता है, उसके लिए अभिवृत्ति व्यक्ति के पंसद और नापसंद के द्वारा अभिक्षमता के विकास के लिए विषयों के निर्धारण में आधार का कार्य करता है। क्योंकि जबतक व्यक्ति में किसी विषय या मूल्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं होगी, तब-तक व्यक्ति में उस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा। जिसकी अनुपस्थिति में प्रशिक्षण की उपलब्धता के बावजूद उचित अभिक्षमता का विकास नहीं होगा।

अभिक्षमता के विकास के लिए अनुकूल अवसर और प्रशिक्षण होना आवश्यक समझा जाता है, परन्तु व्यक्ति में उचित अभिवृत्ति के अभाव में अवसर और प्रशिक्षण के बावजूद भी योग्यताओं के अर्जन तथा अभिक्षमता विकास में सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार अभिवृत्ति अभिक्षमता के विकास में कारक के रूप में सदैव मौजूद रहता है।

अतं में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

3. **पारदर्शिता :** पारदर्शिता अपने संदर्भ में गोपनियता का विरोध हैं, जिसमें निर्णयों में कार्यों में खुलापन की अवधारणा है। यह खुलापन अच्छे शासन की स्थापना, अनुक्रियाशील प्रशासनिक प्रणाली, भ्रष्टाचार की रोकथाम, निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार तथा नागरिक सहभागिता द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है।

सामाजिक न्याय : विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना। इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों और ट्रान्सजेण्डरों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नौकरियों, शैक्षिक संस्थाओं में स्थान और स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्कीमों का वितरण है। यह अवधारणा सकारात्मक कार्यवाही, वरीयतापूर्ण नीतियों और वरीयतापूर्ण बर्ताव के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है।

उत्तरदायित्व : संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा जाता है। यह अवधारणा शासन प्रशासन में किसी व्यक्ति द्वारा किये गए कार्य या लिए गये निर्णय के प्रति ऐसी बाध्यता है, जिसमें परम्परागत व्यवस्था के साथ संशोधित उपायों और नवीनता के प्रर्वतनीयता के घटक भी शामिल होते हैं, जो सुशासन की अवधारणा को प्रभावी बताते हैं।

4. **भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-**

- अच्छाई नीतिशास्त्र की भूलभूत विचार है, जिसे सुख, कर्त्तव्यपालन, आत्मपूर्णता, व्यक्ति में निहित भावना तथा सत्यम शिवम् सुन्दरम् के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

मुख्य विषय वस्तु में-

- अच्छाई या शुभत्व की सुखवादी अवधारणा के अनुसार व्यक्तिगत सुख तथा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख देखा जाता है।
- इस संदर्भ में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तथा व्यक्तिगत सुख भी लोकतंत्र में उचित नहीं कहा जा सकता।
- कर्तव्य निर्वहन को भी कुछ लोगों से जोड़ा है।
- अच्छाई आत्मपूर्णता की अवधारणा है।
- व्यक्ति में निहित अन्तरचेतना में निहित भावना नकारात्मक भी हो सकता है। इस संदर्भ में उचित नहीं कहा जा सकता।

उदाहरण के रूप में सत्य बोलना अच्छाई है, परन्तु एक व्यक्ति का जेल से वापस आकर मित्र के पास अपना रखा हथियार प्रतिशोध की भावना होकर भागना और मित्र द्वारा हथियार वापस देना कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।